

न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल, म०प्र०


क्रमांक-...104.../2023

भोपाल, दिनांक - 06.05.2023


(आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक 2023)

मैं अमर सिंह सिसोदिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल धारा 15(2)दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सत्र मण्डल भोपाल में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के आपराधिक कार्य संबंधी पूर्व आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक 2015 संशोधन क्रं 05 आदेश दिनांक 26.02.15 को छोड़कर पूर्ववर्ती समस्त आदेश को निरस्त करते हुए निम्नलिखित अनुसार कार्य विभाजन करता हूँ, जो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, भोपाल द्वारा अनुमोदन पश्चात अविलंब प्रभावशील होगा :-


01	श्री अमर सिंह सिसोदिया प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल	<p>अ. राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो संपूर्ण भोपाल, विदिशा, राजगढ़ (ब्यावरा) सीहोर और रायसेन जिला</p> <hr/> <p>ब. संपूर्ण जिला भोपाल</p> <hr/> <p>स. संपूर्ण तहसील हूजूर जिला भोपाल</p>	<p>1. म०प्र० शासन, विधि विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रं 1-8-79-इक्कीस-ब(एक) भोपाल दिनांक 28 जून 2007 में दर्शित कालम क्रं 2 में यथा विनिर्दिष्ट मुख्यालयों पर उक्त सारणी के कालम क्रं 3 के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरण।</p> <hr/> <p>2. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय से प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण।</p> <p>3. श्रम विभाग द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रकरण।</p> <p>4. श्रम न्यायालय के आदेश के उल्लंघन में अभियोजन के प्रकरण।</p> <p>5. खनिज अधिनियम से संबंधित परिवाद पत्र</p> <p>6. म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल म प्र द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र।</p> <p>7. भोपाल जिला क्षेत्र के मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां</p> <p>8. ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (प्रतिबंधित) अधिनियम 1978 एवं ऐसे अन्य अधिनियम जिसमें विचारण का क्षेत्राधिकार केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को हो।</p> <p>9. इंवायरमेंटल लॉ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित परिवाद प्रकरण/आपराधिक प्रकरण</p> <p>10. फारेस्ट लॉ (भारतीय वन अधिनियम) से उदभूत परिवाद/आपराधिक प्रकरण</p> <p>11. म.प्र.दुकान एवं संस्थापना अधिनियम 1958</p> <p>12. वन विभाग से प्रस्तुत होने वाले परिवाद.</p> <p>माननीय उच्च न्यायालय म प्र जबलपुर के ज्ञापन क्रं सी/1743, जबलपुर दिनांक 04.05.16 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश</p>
----	---	---	--


 (अमर सिंह सिसोदिया)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 भोपाल (म. प्र.)


		<p>भोपाल के विविध कार्यालयीन आदेश कं क्यू/सांख्यिकीय लेखक/16, आदेश दिनांक 10.05.16 द्वारा वन विधि एवं खनन विधि से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>निम्नलिखित अधिनियम एवं तत्संबंधी नियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त थाना क्षेत्रों के आपराधिक प्रकरण</p> <p>आरक्षी केन्द्र</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. एम.पी.नगर 2. टी.टी.नगर 3. हबीबगंज 4. यातायात 5. आबकारी 6. बैरागढ़ 7. एस.टी.एफ. 	<p>भोपाल के विविध कार्यालयीन आदेश कं क्यू/सांख्यिकीय लेखक/16, आदेश दिनांक 10.05.16 द्वारा वन विधि एवं खनन विधि से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>निम्नलिखित अधिनियम एवं तत्संबंधी नियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त थाना क्षेत्रों के आपराधिक प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. समस्त आपराधिक प्रकरण 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा, खारिजी प्रकरण <p>जिला भोपाल एवं बैरसिया तहसील के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों में प्रस्तुत होने वाले खारिजी प्रकरण।</p>
02	<p>श्री अरूण सिंह, ग्यारवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल</p>	<p>आरक्षी केन्द्र</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. हबीबगंज 2. बागसेवनिया, 3. कटारा हिल्स 4. कोलार रोड, 5. गौतम नगर 6. गोविंदपुरा 7. ईटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजड़ादेव, गुराडिया 8. अरेरा हिल्स 9. गांधीनगर 10. कोहेफिजा 	<ol style="list-style-type: none"> 1. धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
03	<p>श्रीमती मंजुषा तेकाम, अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल</p>	<p>आरक्षी केन्द्र</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. परवलिया सडक 2. टीलाजमालपुरा 3. अजाक (यदि कोई प्रकरण हो) 4. मंगलवारा <p>सम्पूर्ण तहसील हुजूर</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम


 (जमर 15/05/2023 तदया)
 मुख्य न्यायालय मजिस्ट्रेट
 भोपाल (म. प्र.)


			<p>2007 से उत्पन्न होने वाले निम्न आरक्षी केन्द्रों के परिवाद:—</p> <p>1 जहांगीराबाद, 9. अवधपुरी, 2. निशातपुरा 10. अशोकागार्डन, 3. शाहपुरा, 11. टी.टी. नगर 4 रातीबढ़, 12. स्टेशन बजरिया, 5. मिसरोद, 13. कमला नगर 6 मंगलवारा 14. हनुमानगंज 7. सूखी सेवनिया, 15. गौतम नगर 8 अयोध्यानगर 16. गोविंदपुरा 17. अरेरा हिल्स 18. एम.पी. नगर 19. ईंटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजड़ादेव, गुराडिया 5. आरक्षी केन्द्र एम.पी. नगर से उदभूत आपराधिक परिवाद पत्र।</p>
04	श्री विधान माहेश्वरी, सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. खजूरी सड़क 2. पिपलानी 3. शाहपुरा सम्पूर्ण तहसील हुजूर	<p>1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र।</p> <p>2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण</p> <p>3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।</p>
05	श्री शरद कुमार लटोरिया सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. जी.आर.पी. 2. आर.पी.एफ.	<p>1. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना दिनांक 08.04.2015 अनुसार भारतीय रेलवे अधिनियम से संबंधित स्थानीय क्षेत्र भोपाल, सीहोर, उज्जैन, गुना, अशोकनगर, इन्दौर, शाजापुर, रतलाम, खण्डवा, बुरहानपुर, सागर, विदिशा, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, मुरैना, नरसिंहपुर, रीवा, नीमच, भिण्ड, कटनी, छतरपुर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, छिंदवाडा, श्योपुर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले प्रकरण।</p> <p>2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण</p> <p>3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।</p>


(ज. क. सिंह सिंघाविया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भोपाल (न. प्र.)


06	श्री रवि कुमार बौरासी चौबीसवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. अरेरा हिल्स 2. निशातपुरा सम्पूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण । 4. पासपोर्ट अधिनियम 5. सरफेसी एक्ट से संबंधित परिवाद एवं अन्य समस्त कार्यवाहियां 6. आरक्षी केन्द्र टी.टी.नगर क्षेत्र से उदभूत आपराधिक परिवाद पत्र।
07	श्रीमती चेतना दीक्षित सत्रहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केंद्र</u> 1. महिला थाना <u>आरक्षी केंद्र</u> 1. महिला थाना 2. निशातपुरा 3. शाहजहांनाबाद, 4. कोलार रोड 5. गांधीनगर 6. कोहेफिजा 7. रातीबढ़ 8. कोतवाली, 9. ऐशबाग, 10. सूखीसेवनिया, 11. काइम ब्रांच, 12. अवधपुरी 13. टीला जमालपुरा 14. जी.आर.पी. 15. आर.पी.एफ. 16. ईटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजड़ादेव, गुराडिया	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण। 1. आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन। 2. धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354 ए, बी, सी, डी तथा 354 ए म.प्र. संघोधन अधिनियम, 366, 366 ए, 366बी, 376, 376 ए से 376 डी, 493, 498, 498ए, 509 भा.द.वि. एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सति प्रथा निवारण अधिनियम 1957 से संबंधित अभियोगपत्र एवं परिवाद एवं अन्य समस्त परिवाद जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं। 3. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 4. संबंधित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न होने वाले ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो। 5. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।


 6/8/2022
 (अमर सिंह रिश्तादिय)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 भोपाल (म. प्र.)

08	श्री नितेन्द्र सिंह तोमर बाइसवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. रातीबढ़ 2. कोलार रोड 3. बागसेवनिया 4. मिसरोद 5. चूना भट्टी	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
09	श्री तथागत यागनिक तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. शाहजहांनाबाद 2. सी.आई.डी. 3. कार्डम ब्रांच सम्पूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण। 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 4. नापतोल अधिनियम 1985 5. औद्योगिक विवाद से संबंधित प्रस्तुत परिवाद प्रकरण। 6. म.प्र.सिनेमा (रेगुलेशन) अधि० 1952
10	श्रीमती शीला मैना यादव षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. मिसरोद, 2. मंगलवारा . 3. सूखी सेवनिया, 4. अयोध्यानगर 5. अवधपुरी, 6. अशोकागार्डन, 7. टी.टी. नगर 8. स्टेशन बजरिया 9. कमला नगर	1. धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
11	सुश्री सोनम वर्मा, बीसवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल	<u>आरक्षी केंद्र</u> 1. अयोध्या नगर, 2. मिसरोद 3. शाहपुरा, 4. गौतम नगर 5. एम.पी. नगर 6. हबीबगंज 7. अजाक (यदि कोई प्रकरण हो) 8 मंगलवारा 9 परवलिया सड़क 10 अरेरा हिल्स	1. आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन। 2. धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354 ए, बी, सी, डी तथा 354 ए म.प्र. संघोधन अधिनियम, 366, 366 ए, 366बी, 376, 376 ए से 376 डी, 493,498, 498ए, 509 भा.द.वि. एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सति प्रथा निवारण अधिनियम 1957 से संबंधित अभियोगपत्र एवं परिवाद एवं अन्य समस्त परिवाद जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं।


 06.05.2023
 (अमर सिंह सिंघाविया)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 भोपाल (म. प्र.)


		<p>11 स्टेशन बजरिया, 12 गोविंदपुरा 13. बागसेवनिया 14. साईबर काइम (यदि कोई प्रकरण हो)</p>	<p>3. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 4. संबंधित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न होने वाले ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो। 5 सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।</p>
12	<p>श्री लोकेश तारण अठारहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल</p>	<p><u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. अशोका गार्डन 2. तलैया संपूर्ण तहसील हुजूर</p>	<p>1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले निम्न आरक्षी केन्द्रों के परिवाद:- 1. चूनाभट्टी 2. खजूरीसड़क 3. शाहजहांनाबाद 4. टीलाजमालपुरा, 5. पिपलानी 6. कोतवाली 7. गांधीनगर 8. कोहेफिजा 9 छोला मंदिर 10 बिलखिरिया, 11. श्यामला हिल्स 12 हबीबगंज 13. बागसेवनिया, 14 कटारा हिल्स 15.. कोलार रोड, 16. तलैया 17 बैरागढ़ 18 परवलिया सड़क 19 ऐशबाग 5. आरक्षी केन्द्र बैरागढ़ क्षेत्र से उदभूत आपराधिक परिवाद पत्र।</p>
13	<p>श्रीमति अश्विनी सिंह बारहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल</p>	<p><u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. जहांगीराबाद 2. एन.डी.पी.एस. 3. हनुमानगंज संपूर्ण तहसील हुजूर</p>	<p>1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।</p>
14	<p>श्रीमती प्रियंका उत्कर्ष त्रिपाठी चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल</p>	<p><u>मातृत्व अवकाश पर</u></p>	


 06.05.2023
 (अमर सिंह (सावित्री))
 मुख्य न्यायािक मजिस्ट्रेट
 भोपाल (व. इ.)


15	श्री भारत सिंह रघुवंशी तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (नगर निगम न्यायालय)	<u>आरक्षी केंद्र</u> 1. अवधपुरी 2. गांधीनगर 3. कोहेफिजा संपूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण । 1 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम संबंधित आपराधिक प्रकरण। 2 नगर निगम अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 3 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के मामले जो न्यायिक मजि0प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। 4. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधि0 5. बाल श्रमिक से संबंधित अन्य अधिनियम एवं बाल श्रमिक से संबंधित अन्य अधिनियम 7. आयकर विभाग, जीएसटी. एवं मूल्य वर्धित कर विभाग (VAT) द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रकरण।
16	सुश्री अंकिता श्रीवास्तव प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	मातृत्व अवकाश पर	
17	सुश्री पूर्णिमा सैयाम, नवम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. गोविंदपुरा संपूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 4. आरक्षी केन्द्र हबीबगंज क्षेत्र से उदभूत आपराधिक परिवाद पत्र।
18	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केंद्र</u> 1. टी.टी.नगर, 2. सीआईडी 3. कटारा हिल्स 4. कमलानगर 5. हनुमानगंज,	1. आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन। 2. धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354 ए, बी, सी, डी तथा 354 ए म.प्र. संघोधन अधिनियम, 366, 366 ए, 366बी, 376, 376 ए से 376 डी, 493, 498, 498ए, 509 भा.द.वि. एवं अनैतिक

जिम्मेदार न्यायाधीश
06.05.2023
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भोपाल (म. प्र.)


		3. साईबर काइम्स (यदि कोई प्रकरण हो) सम्पूर्ण तहसील हुजूर	
22	सुश्री श्रुति जैन चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल		
23	श्री बृजेश कुमार चंसोरिया सप्तम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केंद्र</u> 1. चूनाभट्टी 2. खजूरीसड़क 3. शाहजहांनाबाद 4. टीलाजमालपुरा, 5. तलैया 6. बैरागढ़ 7. परवलिया सड़क 8. ऐशबाग 9. एम.पी. नगर 10. हनुमानगंज	1. धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
24	श्री मृदुल लटोरिया अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केंद्र</u> 1. छोला मंदिर संपूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।
25	सुश्री एकता ठाकुर ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. स्टेशन बजरिया संपूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण। 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।
26	श्री रजनीश ताम्रकार उन्नीसवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. ऐशबाग संपूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण। 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।
27	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा पंद्रहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. सूखी सेवनिया सम्पूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा


 (अमर सिंह सिन्हा 2023)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 भोपाल (म. प्र.)

	मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल		प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
28	सुश्री तनुश्री शिवहरे सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. कोतवाली सम्पूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
29	सुश्री ऋचा भट्ट सत्रहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. बिलखिरिया सम्पूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
30	श्री संदीप कुमार नामदेव बीसवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. कटारा हिल्स संपूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण । 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
31	सुश्री प्रत्यक्षा कुलेश अठारहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	मातृत्व अवकाश	
32	सुश्री लघुता मरकाम इक्कीसवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. अयोध्या नगर संपूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण । 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
तहसील बैरसिया न्यायालय			
33	श्री रवि नायक व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैरसिया	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. गुनगा 2. थाना गुनगा तहसील हुजूर जिला भोपाल के गांव ईटखेडी, बीनापुर, निपानिया जाट, रायपुर, अरवलिया, खजूरी, खामखेडा, अचारपुरा,	1. समस्त आपराधिक प्रकरण/ परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. निम्नलिखित अधिनियम एवं श्रम विभाग से संबंधित आपराधिक प्रकरण : 1. खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954


 06.05.2023
 (अनुर सिंह शिसोदिया)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 भोपाल (म. प्र.)

	<p>परवलिया सानी, रासलाखेडी, गोलखेडी, राताताल, करधई, करोद खुर्द, कनेरा, कढैया, अगरिया, घासी पुरा, बरखेडी हज्जाम, भैरोपुरा, मनीखेडी कोट, मोमनपुर, सुमेरखेडी, सूखा निपानिया, हज्जामपुरा, हिनौतिया जागीर, चीलखेडा, मस्तीपुरा, खींचीताल से उद्भूत।</p> <p>3. आबकारी (धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम को छोडकर)</p>	<p>2. म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915</p> <p>3. म.प्र.दुकान एवं संस्थापना अधिनियम</p> <p>4. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।</p> <p>5. बैरसिया जिला भोपाल के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों में उद्भूत होने वाले आबकारी मामलों एवं आबकारी विभाग के समस्त मामलों से संबंधित प्रकरण।</p>	
34	<p>श्रीमति हर्षिनी यादव, व्यवहार न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैरसिया</p>	<p>आरक्षी केन्द्र</p> <p>1. बैरसिया</p> <p>आरक्षी केंद्र</p> <p>1. बैरसिया 2. गुनगा 3. नजीराबाद 4. ईटखेडी बैरसिया तह.</p>	<p>1. समस्त आपराधिक प्रकरण/ परिवाद पत्र।</p> <p>2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण</p> <p>3. निम्नलिखित अधिनियम एवं श्रम विभाग से संबंधित आपराधिक प्रकरण :</p> <p>1. खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954</p> <p>2. म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915</p> <p>3. म.प्र.दुकान एवं संस्थापना अधिनियम</p> <p>4. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।</p> <p>.....</p> <p>5. आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन।</p> <p>6. धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354 ए, बी, सी, डी तथा 354 ए म.प्र. संघोधन अधिनियम, 366, 366 ए, 366बी, 376, 376 ए से 376 डी, 493, 498, 498ए, 509 भा.द.वि. एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सति प्रथा निवारण अधिनियम 1957 से संबंधित अभियोगपत्र एवं परिवाद एवं अन्य समस्त परिवाद जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं।</p> <p>7. एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अल्प मात्रा के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के विचारण योग्य आपराधिक प्रकरण.</p>


 06.05.2022
 (अमर सिंह सिसोदिया)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 भोपाल (म. प्र.)

		<p>8. समस्त तहसील बैरसिया जिला भोपाल के आरक्षी केंद्र से उद्भूत होने वाले धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम 1915 के मामले</p> <p>9. संपूर्ण तहसील बैरसिया के इंवायरमेंटल लॉ (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम) एवं फारेस्ट लॉ (भारतीय वन अधिनियम) से उद्भूत प्रकरण</p>	
35	<p>सुश्री राखी देवलिया प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैरसिया</p>	<p>आरक्षी केन्द्र</p> <p>1. नजीराबाद</p> <p>आरक्षी केंद्र</p> <p>1. बैरसिया 2. गुनगा 3. नजीराबाद 4. ईटखेड़ी बैरसिया तह.</p>	<p>1. समस्त आपराधिक प्रकरण / परिवाद पत्र।</p> <p>2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण</p> <p>3. निम्नलिखित अधिनियम एवं श्रम विभाग से संबंधित आपराधिक प्रकरण :</p> <p>1. खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954</p> <p>2. म.प्र.दुकान एवं संस्थापना अधिनियम</p> <p>4. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।</p> <p>5. धारा 138 निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेण्ट एक्ट अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।</p> <p>8. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।</p>
36	<p>श्री राजन गुप्ता द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैरसिया</p>	<p>आरक्षी केन्द्र</p> <p>1. ईटखेड़ी बैरसिया तहसील</p>	<p>1. समस्त आपराधिक प्रकरण / परिवाद पत्र।</p> <p>2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण</p> <p>3. निम्नलिखित अधिनियम एवं श्रम विभाग से संबंधित आपराधिक प्रकरण :</p> <p>1. खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954</p> <p>2. म.प्र.दुकान एवं संस्थापना अधिनियम</p> <p>4. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।</p>

06.05.2023
(अमर सिंह देवा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भोपाल (म. प्र.)

// सामान्य नोट //

01. कार्यविभाजन में की गई व्यवस्था के बावजूद जिला भोपाल के क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी भी थाना या वृत्त का कोई प्रकरण सुनवाई हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ग्रहण किया जा सकता है कार्यविभाजन पत्रक में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई भी चालान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी अन्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जावेगा।

02. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी मजिस्ट्रेट मुख्यालय से बाहर प्रस्थान नहीं करेंगे, प्रस्थान करने के पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को भी देंगे।

03. समस्त रिक्त न्यायालय के महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट, अपीलीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्देश, निर्णय का निष्पादन व रिक्त न्यायालय की समस्त कार्यवाही भोपाल जिले के साथ-साथ अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफ्तारी वारंट एवं अन्य समस्त कार्यवाही के लिए समस्त मजिस्ट्रेट, दिए गए अपने-अपने आरक्षी केंद्र अनुसार कार्य संपादित करेंगे।


04. समस्त रिक्त न्यायालय के धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट, अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश/निर्णय का निष्पादन, भोपाल जिले के साथ-साथ अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफ्तारी वारंट एवं अन्य समस्त कार्यवाही के लिए समस्त मजिस्ट्रेट, दिए गए अपने-अपने आरक्षी केंद्र अनुसार कार्य संपादित करेंगे।

इसके अतिरिक्त परिवाद पत्र से उद्भूत दांडिक मामलों से संबंधित रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी किये गये स्थाई गिरफ्तारी वारंट, अपील न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्देश, निर्णय का निष्पादन तथा परिवाद पत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों के संबंध में रिक्त न्यायालय की अन्य समस्त कार्यवाही के लिये समस्त मजिस्ट्रेट, दिये गये अपने-अपने आरक्षी केन्द्रों का कार्य संपादित करेंगे।

05. उक्त कंडिका 03 व 04 में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त, रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी किये गये स्थाई गिरफ्तारी वारंट, रिक्त न्यायालय के निर्णय/आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देश, आदेश एवं निर्णय का निष्पादन तथा रिक्त न्यायालय की अन्य समस्त कार्यवाही के लिये समस्त मजिस्ट्रेट, दिये गये अपने-अपने आरक्षी केन्द्रों अनुसार कार्य संपादित करेंगे तथा जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये हैं और वे वर्तमान में जिला न्यायालय स्थापना में पदस्थ भी हैं, तब जारी किये गये स्थाई गिरफ्तारी वारंट की अन्य समस्त कार्यवाही पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही संपादित की जायेगी। यदि स्थाई वारंट से संबंधित कोई प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में लंबित होगा, तो लंबित प्रकरण के साथ वारंट संलग्न कर विचारण करने हेतु सीधे संबंधित न्यायालय को वारंट, आदेश पत्रिका भेज सकेंगे। पश्चात जहां मामला लंबित होगा, वहीं मजिस्ट्रेट आगे कार्यवाही करेंगे।


इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल के न्यायालय में लगने वाले आरक्षी केन्द्र में से आरक्षी केन्द्र टी.टी. नगर एवं एम.पी. नगर के अपराध से संबंधित रिक्त न्यायालय के निर्णय/आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देश, निर्णय/आदेश का निष्पादन तथा अन्य समस्त कार्यवाही श्रीमति अश्विनी सिंह, जेएमएफसी भोपाल एवं आरक्षी केन्द्र हबीबगंज एवं बैरागढ के अपराध से संबंधित रिक्त न्यायालय के निर्णय/आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देश, निर्णय/आदेश का निष्पादन तथा अन्य समस्त कार्यवाही श्री मृदुल लटोरिया, जेएमएफसी, भोपाल द्वारा संपादित की जावेगी।

06. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल के न्यायालय में लगने वाले आरक्षी केन्द्र टी.टी. नगर, एमपी नगर, हबीबगंज, बैरागढ, यातायात से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफ्तारी वारंट से संबंधित प्रकरण की समस्त कार्यवाही श्री रजनीश ताम्रकार जेएमएफसी भोपाल द्वारा संपादित की जायेगी।


06.05.2023

(अमर सिंह सिसोदिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भोपाल (न. प्र.)

07. आरक्षी केन्द्र एम.पी.नगर क्षेत्र से उदभूत आपराधिक परिवाद पत्र श्रीमती मंजूषा तेकाम जेएमएफसी भोपाल, आरक्षी केन्द्र हबीबगंज क्षेत्र से उदभूत आपराधिक परिवाद पत्र सुश्री पूर्णिमा सैयाम जेएमएफसी भोपाल एवं आरक्षी केन्द्र टीटी नगर क्षेत्र से उदभूत आपराधिक परिवाद पत्र श्री रवि कुमार बौरासी जेएमएफसी, भोपाल एवं आरक्षी केन्द्र बैरागढ़ क्षेत्र से उदभूत आपराधिक परिवाद पत्र श्री लोकेश तारण जेएमएफसी, भोपाल के न्यायालयों में प्रस्तुत किये जावेगे और वे विधि अनुसार कार्यवाही संपादित करेंगे।
08. विशिष्ट क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देकर अपने टूर पर प्रस्थान करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण उन्हीं तिथियों पर नियत किये जावें, जिनमें मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर उपस्थित रहें तथा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम दो दिवस मुख्यालय में उपस्थित रहकर न्यायालयीन कार्य का निष्पादन करेंगे।
09. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देकर न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले थाना क्षेत्र में चलित न्यायालय लगा सकेंगे, किन्तु कार्य दिवस में ऐसा करने के लिये माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
10. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर जाने की दशा में संक्षिप्त विचारण के तहत अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार किये जाने वाले मामले/प्रकरण अनुसूची कं 01 के अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश होंगे और उसी न्यायालय में पंजीबद्ध किये जावेंगे। पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने तथा स्थानांतरण हो जाने की दशा में जब तक उनके स्थान पर नये अधिकारी पदभार ग्रहण नहीं करते, तब तक अनुसूची कं 01 में वर्णित प्रभारी मजिस्ट्रेट स्थानांतरित अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आने वाले सम्पूर्ण मामले सीधे अपने न्यायालय में ग्रहण कर, पंजीबद्ध करेंगे और विधि अनुसार कार्यवाही करेंगे।
11. कार्यविभाजन पत्रक में यदि भोपाल थाना क्षेत्र तथा बैरसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी आरक्षी केन्द्र का नाम छूट जाता है या किसी आरक्षी केन्द्र का नवीन रूप से गठन होता है तो उक्त आरक्षी केन्द्र के समस्त आपराधिक कार्य व उनके संबंधित सभी आवश्यक कार्य क्रमशः श्री तथागत याग्निक जेएमएफसी भोपाल तथा श्री रवि नायक जेएमएफसी, बैरसिया जिला भोपाल द्वारा किये जायेगे।
12. धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कथन हेतु प्रस्तुत होता है तो क्रमशः प्रथम, द्वितीय प्रभारी व फिर पश्चातवर्ती मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही संपन्न की जावेगी तथा किन्हीं कारणवश किसी आरक्षी केन्द्र का नाम छूट जाता है या किसी आरक्षी केन्द्र का नवीन रूप से गठन होता है तो उक्त आरक्षी केन्द्र के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित) सुश्री लघुता मरकाम जेएमएफसी भोपाल द्वारा एवं धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर) श्री संदीप कुमार नामदेव जेएमएफसी भोपाल द्वारा लिया जाएगा।
13. म.प्र.ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996 की धारा 16(1) व (2) के प्रावधाननुसार ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरण, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में सम्मिलित नहीं माने जावेगे। ग्राम न्यायालय से संबंधित आपराधिक प्रकरण न्यायिक अधिकारी ग्राम न्यायालय भोपाल के द्वारा ही लिया जायेगा।
14. माननीय उच्च न्यायालय म प्र जबलपुर का ज्ञापन कं बी/806/।।। 6-5/14, जबलपुर, दिनांक 25.02.15 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भोपाल का ज्ञापन कं 801/सां0ले0/2015, भोपाल दिनांक 26 फरवरी 2015 के परिपालन में इस न्यायालय के पूर्ववर्ती आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक 2015 संशोधन कं 05 आदेश दिनांक 26.02.15 द्वारा श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, जेएमएफसी भोपाल, थाना एसटीएफ भोपाल द्वारा प्रस्तुत संलग्न सूची अनुसार कं 01 से 15 तक एवं श्री लोकेश तारण जेएमएफसी भोपाल संलग्न, थाना एसटीएफ भोपाल द्वारा प्रस्तुत संलग्न सूची अनुसार कं 16 से 29 तक के अपराध क्रमांक में धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत कथन अभिलिखित करेंगे। इसके अतिरिक्त


 06.05.2023
 (अमर सिंह) : सी.डी.ओ.
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 भोपाल (म. प्र.)

यदि थाना एसटीएफ भोपाल द्वारा अन्य अपराध क्रमांक में धारा 164 दंप्रसं के कथन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं तो श्रीमती एकता ठाकुर जेएमएफसी, भोपाल पूर्व आदेशानुसार कार्य संपादित करेंगे।

15. न्यायिक अभिरक्षा एवं पुलिस अभिरक्षा में किसी बंदी की मृत्यु होने की दशा में तथा केन्द्रीय कारागार भोपाल में निरुद्ध ऐसे बंदी जो कि भोपाल जिले से बाहर थाना क्षेत्र के आपराधिक प्रकरणों में निरुद्ध है तथा जो भोपाल जिले के आरक्षी केन्द्रों के आपराधिक प्रकरणों में निरुद्ध है, की मृत्यु होने पर धारा 176 दंप्रसं की न्यायिक जांच, निम्नांकित न्यायिक दंडाधिकारीगण संपादित करेंगे:-

01. श्री प्रशांत मर्सकोले जेएमएफसी, माह मई 2023
02. श्री सुरेश बारगीया, जेएमएफसी, माह जून 2023
03. श्री लोकेश तारण, जेएमएफसी, माह जुलाई 2023
04. श्री अरुण सिंह, जेएमएफसी, माह अगस्त 2023
05. श्री रवि कुमार बौरासी जेएमएफसी, माह सितम्बर 2023
06. श्री मृदुल लटोरिया जेएमएफसी, माह अक्टूबर 2023
07. श्री बृजेश सिंह चंसोरिया जेएमएफसी, माह नवम्बर 2023
08. श्री तथागत याग्निक, जेएमएफसी, माह दिसम्बर 2023 से आगामी आदेश होने तक।


न्यायिक अधिकारी जिस माह में न्यायिक जांच हेतु अधिकृत है उक्त माह में सार्वजनिक अवकाशों में बिना माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल के पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं रहेंगे, परन्तु किन्हीं कारणवश मुख्यालय से बाहर रहते हैं या अवकाश पर जाते हैं तो मुख्यालय छोड़ने हेतु प्रस्तुत आवेदन में इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मांगेंगे, इसके पश्चात प्रभार अनुसूची क्रमांक 1 के अनुसार रहेगा।

16. धारा 176 दंप्रसं के अन्तर्गत मृत बंदियों की न्यायिक जांच से संबंधित अनुरोध पत्र केन्द्रीय कारागार, भोपाल से व संबंधित आरक्षी केन्द्र से प्राप्त होने पर संबंधित न्यायिक दंडाधिकारीगण अपने अधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्र के संबंध में विधिवत कार्यवाही अविलंब संपादित करेंगे। इस संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल से पृथक से कोई आदेश प्रसारित नहीं किया जायेगा।

17. रिमांड ड्यूटी, वीडियो कांफ्रेंसिंग, धारा 164 दंप्रसं कथन एवं धारा 176 दंप्रसं के तहत अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट के किसी कारण वश अवकाश पर रहने या अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने की स्थिति में उनके स्थान पर आए नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा न्यायालय रिक्त रहने की दशा में प्रभार अनुसूची क्र.-1 के अनुसार रहेगा एवं वह विधि अनुसार कार्यवाही यथाशीघ्र संपादित करेंगे।

18. श्री रवि नायक, सुश्री हर्षिनी यादव एवं श्रीमती राखी देवलिया जेएमएफसी बैरसिया जिला भोपाल अपने-अपने आरक्षी केन्द्र के धारा 176 दंप्रसं के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में मृत बंदियों की न्यायिक जांच संपादित करेंगे।


19. अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 कार्यविभाजन पत्रक के ही अंग रहेंगे।


 अमर सिंह सिसोदिया
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 भोपाल, म.प्र.
 6.6.2023


/// अनुसूची क-1 ///

1. न्यायिक दंडाधिकारीगण के अवकाश में रहने पर या न्यायालय रिक्त होने पर, उनके स्थान पर आए नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट या अनुसूची क-1 में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूची के अनुसार अत्यावश्यक न्यायालयीन कार्यों को निष्पादित करेंगे।
2. यदि अनुसूची क. 1 में वर्णित प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ प्रभारी अवकाश पर रहते हैं, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर मुख्यालय उपलब्ध वरिष्ठतम मजिस्ट्रेट प्रभार में रहेंगे। अत्यावश्यक मामलों में ऐसे समस्त मामले शामिल हैं, जिनमें संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा आरोपी अपराध की स्वीकारोक्ति चाहता है। अत्यावश्यक मामलों में वे मामले शामिल नहीं होंगे, जो पहले से किसी न्यायालय में लंबित हों।


क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी
1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल	श्री तथागत याग्निक जेएमएफसी	श्रीमति मंजुषा तेकाम जेएमएफसी	श्री रवि कुमार बौरासी जेएमएफसी	श्री अरुण सिंह जेएमएफसी
2	श्री अरुण सिंह जेएमएफसी (138 एन. आई.एक्ट)	श्रीमती शीला मैना यादव जेएमएफसी	श्री सुरेश बारगिया जेएमएफसी	श्री बृजेश कुमार चंसोरिया जेएमएफसी	श्रीमती मंजुषा तेकाम जेएमएफसी
3	श्रीमती मंजुषा तेकाम जेएमएफसी	श्री विधान माहेश्वरी जेएमएफसी	श्री रवि कुमार बौरासी जेएमएफसी	श्री तथागत याग्निक जेएमएफसी	श्री भारत सिंह रघुवंशी जेएमएफसी
4	श्री विधान माहेश्वरी जेएमएफसी	श्रीमती मंजुषा टेकाम जेएमएफसी	श्री तथागत याग्निक जेएमएफसी	श्री रवि कुमार बौरासी जेएमएफसी	श्री लोकेश तारण जेएमएफसी
5	श्री शरद कुमार लटोरिया जेएमएफसी	श्री रवि कुमार बौरासी जेएमएफसी	श्रीमती मंजुषा जेएमएफसी	श्री विधान माहेश्वरी जेएमएफसी	श्री तथागत याग्निक, जेएमएफसी
6	श्री रवि कुमार बौरासी, जेएमएफसी	श्री लोकेश तारण जेएमएफसी	श्रीमती अश्विनी सिंह जेएमएफसी	श्री भारत सिंह रघुवंशी जेएमएफसी	सुश्री पूर्णिमा सैयाम जेएमएफसी
7	श्रीमती चेतना दीक्षित जेएमएफसी (महिला न्यायालय)	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी जेएमएफसी	श्रीमति सोनम वर्मा, जेएमएफसी	श्रीमती अश्विनी सिंह, जेएमएफसी	श्रीमती एकता ठाकुर, जेएमएफसी
8	श्री नितेन्द्र सिंह तोमर, जेएमएफसी	श्री तथागत याग्निक जेएमएफसी	श्री लोकेश तारण जेएमएफसी	श्रीमती अश्विनी सिंह, जेएमएफसी	श्री विधान माहेश्वरी जेएमएफसी
9	श्री तथागत याग्निक, जेएमएफसी	श्री लोकेश तारण, जेएमएफसी	श्रीमती मंजुषा तेकाम जेएमएफसी	श्री रवि कुमार बौरासी जेएमएफसी	श्रीमती अश्विनी सिंह, जेएमएफसी
10	श्रीमती शीला मैना यादव जेएमएफसी (138 एन.आई.एक्ट)	श्री अरुण सिंह, जेएमएफसी	श्री बृजेश कुमार चंसोरिया जेएमएफसी	श्री सुरेश बारगिया तोमर, जेएमएफसी	श्रीमती एकता ठाकुर जेएमएफसी


 (06.05.2023)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 भोपाल (म. प्र.)

11	श्रीमती सोनम वर्मा, चौकसे, जेएमएफसी (महिला न्यायालय)	श्रीमती चेतना दीक्षित जेएमएफसी	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी जेएमएफसी	श्रीमती मंजूषा तेकाम जेएमएफसी	सुश्री लघुता मरकाम जेएमएफसी
12	श्री लोकेश तारण, जेएमएफसी	श्रीमती अश्विनी सिंह जेएमएफसी	श्री भारत सिंह रघुवंशी जेएमएफसी	सुश्री पूर्णिमा सैयाम, जेएमएफसी	श्री राजकुमार तोरनिया, जेएमएफसी
13	श्रीमती अश्विनी सिंह, जेएमएफसी	श्री भारत सिंह रघुवंशी जेएमएफसी	सुश्री पूर्णिमा सैयाम, जेएमएफसी	श्री राजकुमार तोरनिया, जेएमएफसी	श्री प्रशांत मर्सकोले जेएमएफसी
14	श्रीमती प्रियंका उत्कर्ष त्रिपाठी जेएमएफसी	मातृत्व अवकाश पर			
15	श्री भारत सिंह रघुवंशी, जेएमएफसी	श्री राजकुमार तोरनिया, जेएमएफसी	श्री सुश्री पूर्णिमा सैयाम जेएमएफसी	श्री प्रशांत मर्सकोले, जेएमएफसी	श्री मृदुल लटोरिया जेएमएफसी
16	श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव जेएमएफसी	मातृत्व अवकाश पर			
17	सुश्री पूर्णिमा सैयाम जेएमएफसी	श्री प्रशांत मर्सकोले जेएमएफसी	श्री मृदुल लटोरिया जेएमएफसी	श्री राजकुमार तोरनिया जेएमएफसी	श्रीमती अश्विनी सिंह जेएमएफसी
18	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी जेएमएफसी (महिला न्यायालय)	श्रीमती सोनम वर्मा, जेएमएफसी	श्रीमती चेतना दीक्षित, जेएमएफसी	सुश्री एकता ठाकुर, जेएमएफसी	सुश्री पूर्णिमा सैयाम जेएमएफसी
19	श्री राजकुमार तोरनिया जेएमएफसी	श्री प्रशांत मर्सकोले जेएमएफसी	सुश्री एकता ठाकुर जेएमएफसी	श्री मृदुल लटोरिया जेएमएफसी	श्री रजनीश ताम्रकार जेएमएफसी
20	श्री सुरेश बारगिया (138 एन.आई.एक्ट)	श्री बृजेश कुमार चंसोरिया जेएमएफसी	श्रीमती शीला मैना यादव जेएमएफसी	श्री अरुण सिंह जेएमएफसी	श्री मृदुल लटोरिया जेएमएफसी
21	श्री प्रशांत मर्सकोले जेएमएफसी	श्री मृदुल लटोरिया, जेएमएफसी	श्री रजनीश ताम्रकार जेएमएफसी	सुश्री एकता ठाकुर, जेएमएफसी	श्री बृजेश कुमार चंसोरिया जेएमएफसी
22	सुश्री श्रुति जैन, जेएमएफसी	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा जेएमएफसी	कु.तनुश्री शिवहरे जेएमएफसी	सुश्री ऋचा भट्ट जेएमएफसी	सुश्री एकता ठाकुर जेएमएफसी
23	श्री बृजेश कुमार चंसोरिया जेएमएफसी (138 एन.आई.एक्ट)	श्री सुरेश बारगिया जेएमएफसी	श्री अरुण सिंह, जेएमएफसी	श्रीमती शीला मैना यादव जेएमएफसी	श्री प्रशांत मर्सकोले, जेएमएफसी
24	श्री मृदुल लटोरिया	सुश्री एकता ठाकुर रघुवंशी, जेएमएफसी	श्री रजनीश	श्री संदीप कुमार	सुश्री लघुता मरकाम


 (अमर सिंह सिंघादिग)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 भोपाल (म. प्र.)


	जेएमएफसी		ताम्रकार, जेएमएफसी	नामदेव, जेएमएफसी	तोरनिया, जेएमएफसी
25	सुश्री एकता ठाकुर, जेएमएफसी	सुश्री पूर्णिमा सैयाम जेएमएफसी	श्री राजकुमार तोरनिया जेएमएफसी	सुश्री लघुता मरकाम जेएमएफसी	श्री मृदुल लटोरिया जेएमएफसी
26	श्री रजनीश ताम्रकार, जेएमएफसी	श्री संदीप कुमार नामदेव, जेएमएफसी	सुश्री लघुता मरकाम जेएमएफसी	श्री मृदुल लटोरिया, जेएमएफसी	सुश्री एकता ठाकुर जेएमएफसी
27	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, जेएमएफसी	कु. तनुश्री शिवहरे, जेएमएफसी	सुश्री ऋचा भट्ट, जेएमएफसी	श्री संदीप कुमार नामदेव, जेएमएफसी	सुश्री लघुता मरकाम
28	कु. तनुश्री शिवहरे, जेएमएफसी	सुश्री ऋचा भट्ट, जेएमएफसी	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा जेएमएफसी	श्री रजनीश ताम्रकार जेएमएफसी	श्री संदीप कुमार नामदेव
29	सुश्री ऋचा भट्ट, जेएमएफसी	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, जेएमएफसी	कु. तनु श्री शिवहरे जेएमएफसी	सुश्री लघुता मरकाम जेएमएफसी	सुश्री एकता ठाकुर
30	श्री संदीप कुमार नामदेव जे.एम.एफ. सी.	सुश्री लघुता मरकाम जेएमएफसी	श्री राजकुमार तोरनिया	श्री प्रशांत मर्सकोले जेएमएफसी	श्री मृदुल लटोरिया जेएमएफसी
31	कु. प्रत्यक्षा कुलेश, जेएमएफसी	मातृत्व अवकाश पर			
32	सुश्री लघुता मरकाम	श्री रजनीश ताम्रकार नामदेव	श्री संदीप कुमार नामदेव ताम्रकार	श्री मृदुल लटोरिया जेएमएफसी	सुश्री पूर्णिमा सैयाम जेएमएफसी
बैरसिया न्यायालय					
33	श्रीमती रवि नायक, जेएमएफसी	श्रीमति हर्षिणी यादव, जेएमएफसी	श्रीमती राखी देवलिया, जेएमएफसी	श्री राजन गुप्ता जेएमएफसी	श्री प्रशांत मर्सकोले, जेएमएफसी
34	श्रीमति हर्षिणी यादव, जेएमएफसी	श्रीमती राखी देवलिया, जेएमएफसी	श्री राजन गुप्ता जेएमएफसी	श्री रवि नायक, जेएमएफसी	सुश्री सिल्की कौर जेएमएफसी
35	श्रीमती राखी देवलिया, जेएमएफसी	श्री राजन गुप्ता, जेएमएफसी	श्री रवि नायक, जेएमएफसी	श्रीमती हर्षिणी यादव, जेएमएफसी	सुश्री ऋचा भट्ट जैन जेएमएफसी
36	श्री राजन गुप्ता जेएमएफसी	श्री रवि नायक जेएमएफसी	श्रीमती हर्षिणी यादव	श्रीमती राखी देवलिया	कु.तनुश्री शिवहरे
37	प्रधान न्यायाधीश, किशोर बोर्ड, भोपाल	-----	-----	-----	-----


 06.05.2023
 (अमर सिंह सिसोदिया)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 भोपाल (म. प्र.)

नोट:- 1. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड के स्थानांतरण हो जाने तथा उनके अवकाश पर रहने पर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा तथा किन्हीं कारणवश उनके भी अनुपस्थित रहने पर मुख्य न्यायिक मजि0 भोपाल को छोड़कर वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।

2. भोपाल जिला न्यायालय पदस्थापना में रिक्त न्यायालयों में लंबित आपराधिक प्रकरणों के संबंध में समस्त आवश्यक कार्यवाही आगामी आदेश पर्यन्त तक उनके पूर्व प्रभारी अधिकारीगण द्वारा ही की जावेगी।

3. यह आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन पश्चात् तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


अमर सिंह सिसोदिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भोपाल म.प्र. 06.05.2023


// अनुसूची क.- 2 //

धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन अंकित किये जाने हेतु नीचे दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है :-

1. महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित धारा 164 द.प्र.स. के कथनों हेतु निम्न महिला मजिस्ट्रेटों को आरक्षी केंद्र का आबंटन निम्नानुसार किया जाता है:-

कं.	मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	श्रीमती मंजूषा तेकाम, जेएमएफसी	1 बैरागढ, 2. टी.टी.नगर 3 महिला थाना, 4. एसटीएफ एवं एटीएस
2	श्रीमती चेतना दीक्षित, जेएमएफसी	1. खजूरी सडक 2. गौतम नगर 3. गोविंदपुरा, 4. श्यामला हिल्स
3	श्रीमती शीला मैना यादव, जेएमएफसी	1. चूना भट्टी, 2. शाहपुरा 3. जी.आर.पी. 4. पिपलानी
4	श्रीमती सोनम वर्मा जेएमएफसी	1 हनुमानगंज, 2 पिपलानी, 3 छोला मंदिर 4. ऐशबाग
5	सुश्री अश्विनी सिंह जेएमएफसी	1 बिलखिरिया 2 रातीबड़, 3 कोतवाली 4 आर.पी.एफ., 5. स्टेशन बजरिया
6	सुश्री पूर्णिमा सैयाम जेएमएफसी	1 सूखीसेवनिया 2 मिसरोद 3 शाहजहांनाबाद, 4. कोहेफिजा
8	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, जेएमएफसी	1 ईटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजडादेव, गुराडिया, 2 एसटीएफ/एटीएस (आदेश दिनांक 26.02.15 के अनुसार) 3. कटारा हिल्स 4. अयोध्या नगर
9	सुश्री एकता ठाकुर जेएमएफसी	1 एम.पी.नगर, 2 हबीबगंज, 3. चूनाभट्टी, 4. कोलार रोड
	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, जेएमएफसी	1 कमला नगर 2 ऐशबाग 3 साइबर काइम्स 4 काइम ब्रांच, 5. अवधपुरी
	सुश्री तनुश्री शिवहरे, जेएमएफसी	1 निशातपुरा 2 टीलाजमालपुरा 3 बागसेवनिया 4. जहांगीराबाद
10	सुश्री ऋचा भट्ट, जेएमएफसी	1. सीबीआई 2. मंगलवारा 3. अरेरा हिल्स 4. तलैया
11	सुश्री लघुता मरकाम, जेएमएफसी	1 अशोका गार्डन 2 गांधीनगर 3 परवलिया सडक 4. अजाक


नोट:- 1. धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन अंकित किये जाने हेतु उपरोक्त न्यायिक दंडाधिकारीगण के अवकाश में रहने पर निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूची के अनुसार धारा 164 द.प्र.स. के कथन अंकित करेंगे।


06.05.2023
(अमर सिंह सिसोदिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भोपाल (म. प्र.)

2. यदि सूची में वर्णित प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ प्रभारी अवकाश पर रहते हैं, तो धारा 164 द. प्र.स. के कथन अंकित किए जाने हेतु मुख्यालय पर उपलब्ध वरिष्ठतम महिला मजिस्ट्रेट प्रभार में रहेंगी।

3. धारा 164 द.प्र.सं. के तहत कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कथन हेतु प्रस्तुत होता है तो क्रमशः प्रथम, द्वितीय प्रभारी व फिर पश्चातवर्ती महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही संपन्न की जावेगी।

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी
1	श्रीमती मंजूषा तेकाम, जेएमएफसी	श्रीमती चेतना दीक्षित जेएमएफसी	श्रीमती शीला मैना यादव जेएमएफसी	श्रीमती सोनम वर्मा जेएमएफसी	श्रीमती अश्विनी सिंह जेएमएफसी
2	श्रीमती चेतना दीक्षित जेएमएफसी	श्रीमती शीला मैना यादव जेएमएफसी	श्रीमती सोनम वर्मा जेएमएफसी	श्रीमती अश्विनी सिंह जेएमएफसी	श्रीमती मंजूषा तेकाम जेएमएफसी
3	श्रीमती शीला मैना यादव जेएमएफसी	श्रीमती मंजूषा तेकाम जेएमएफसी	श्रीमती अश्विनी सिंह जेएमएफसी	श्रीमती सोनम वर्मा जेएमएफसी	सुश्री पूर्णिमा सैयाम जेएमएफसी
4	श्रीमती सोनम वर्मा	श्रीमती अश्विनी सिंह जेएमएफसी	श्रीमती मंजूषा तेकाम जेएमएफसी	सुश्री पूर्णिमा सैयाम जेएमएफसी	श्रीमती शीला मैना यादव जेएमएफसी
5	श्रीमती अश्विनी सिंह जेएमएफसी	श्रीमती सोनम वर्मा जेएमएफसी	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी जेएमएफसी	श्रीमती मंजूषा तेकाम जेएमएफसी	सुश्री पूर्णिमा सैयाम जेएमएफसी
6	सुश्री पूर्णिमा सैयाम जेएमएफसी	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी जेएमएफसी	सुश्री एकता ठाकुर जेएमएफसी	सुश्री लघुता मरकाम जेएमएफसी	श्रीमती सोनम वर्मा जेएमएफसी
7	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी जेएमएफसी	सुश्री एकता ठाकुर जेएमएफसी	सुश्री पूर्णिमा सैयाम जेएमएफसी	श्रीमती सोनम वर्मा जेएमएफसी	श्रीमती चेतना दीक्षित जेएमएफसी
8	सुश्री एकता ठाकुर, जेएमएफसी	सुश्री लघुता मरकाम जेएमएफसी	सुश्री तनु श्री शिवहरे जेएमएफसी	सुश्री ऋचा भट्ट जेएमएफसी	श्रीमती अश्विनी सिंह जेएमएफसी
9	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा यादव जेएमएफसी	सुश्री ऋचा भट्ट जेएमएफसी	सुश्री तनु श्री शिवहरे जेएमएफसी	सुश्री लघुता मरकाम जेएमएफसी	सुश्री पूर्णिमा सैयाम जेएमएफसी
10	सुश्री तनुश्री शिवहरे, जेएमएफसी	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा जेएमएफसी	सुश्री ऋचा भट्ट जेएमएफसी	सुश्री एकता ठाकुर जेएमएफसी	सुश्री लघुता मरकाम जेएमएफसी
11	सुश्री ऋचा भट्ट, जेएमएफसी	सुश्री तनु श्री शिवहरे जेएमएफसी	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा जेएमएफसी	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी जेएमएफसी	श्रीमती मंजूषा तेकाम जेएमएफसी
12	सुश्री लघुता मरकाम जुनेजा, जेएमएफसी	सुश्री पूर्णिमा सैयाम जेएमएफसी	सुश्री एकता ठाकुर जेएमएफसी	श्रीमती अश्विनी सिंह जेएमएफसी	श्रीमती सोनम वर्मा जेएमएफसी


 06.05.2023
 (अमर सिंह सिसोदिया)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 भोपाल (म. प्र.)

4. इसके अतिरिक्त धारा 164 द.प्र.स. के कथन (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर) के संबंध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

कं.	मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	श्री रवि कुमार बौरासी, जेएमएफसी	1 अवधपुरी, 2 गांधीनगर 3 हनुमानगंज, 4 ईओडब्ल्यू,
2	श्री तथागत याग्निक, जेएमएफसी	1 ऐशबाग 2 चूनाभट्टी 3 बैरागढ 4 कोहेफिजा 5. आर.पी.एफ.
3	श्री लोकेश तारण जेएमएफसी	1 जहांगीराबाद, 2. गौतम नगर 3. एटीएस/एसटीएफ (आदेश दिनांक 26.02.15 के अनुसार)
4	श्री राजकुमार तोरनिया, जेएमएफसी	1. शाहजहांनाबाद, 2 ईटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजडादेव, गुराडिया 3. तलैया 4. साइबर काइम्स, 5 सी. आई.डी.
5	श्री सुरेश बारगिया जेएमएफसी	1 कोतवाली 2 हबीबगंज 3 कोलार रोड 4 जी.आर.पी. 5. पिपलानी,
6	श्री प्रशांत मर्सकोले, जेएमएफसी	1 बिलखिरिया 2 गोविंदपुरा, 3 निशातपुरा 4. सीबीआई, 5. मिसरोद
7	श्री बृजेश कुमार चंसोरिया जेएमएफसी	1 शाहपुरा 2 सूखीसेवनिया 3 टी टी नगर, 4. कटारा हिल्स, 5 अशोकागार्डन 6 मंगलवारा
8	श्री मृदुल लटोरिया, जेएमएफसी	1 श्यामला हिल्स, 2 अयोध्या नगर 3 अजाक, 3 महिला थाना 1 अरेरा हिल्स 2 काइम ब्रांच
9	श्री रजनीश ताम्रकार जेएमएफसी	1 टीलाजमालपुरा, 2 बागसेवनिया 3 छोला मंदिर 1 रातीबड़, 2 खजूरी सडक
10	श्री संदीप कुमार नामदेव जेएमएफसी	1 स्टेशन बजरिया, 2. कमलानगर, 3 परवलिया सडक 4 एमपी नगर

5. तहसील बैरसिया जिला भोपाल में धारा 164 द.प्र.सं. के कथन अंकित किये जाने हेतु नीचे दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है :-

कं.	मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	श्री रवि नायक, जेएमएफसी, बैरसिया	बैरसिया,
2	सुश्री हर्षिनी यादव, जेएमएफसी, बैरसिया,	गुनगा, ईटखेडी तह0 बैरसिया
3	श्री राजन गुप्ता, जेएमएफसी, बैरसिया	नजीराबाद

अनुमोदित

मनोज कुमार श्रीवास्तव
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल 4090

अमर सिंह सिसोदिया

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,


भोपाल, म.प्र. 08.05.2023

पृष्ठांकन क्रमांक...../2023

भोपाल, दिनांक05.2023

प्रतिलिपि :-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
2. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, भोपाल म.प्र.
3. माननीय विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, भोपाल म.प्र.
की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल म.प्र.
5. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल/तहसील बैरसिया
6. जिला दण्डाधिकारी, भोपाल
7. जिला अभियोजन अधिकारी, भोपाल
8. बार एसोसियेशन, भोपाल
9. जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, भोपाल की ओर संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2023
की अनुसूची कं 02 में वर्णित निर्देशों के पालन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
10. रीडर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


अमर सिंह सिसोदिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भोपाल, म.प्र.

न्यायालय-अमर सिंह सिसोदिया, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भोपाल म0प्र0

क्रमांक 229/2023

भोपाल, दिनांक 19/06/2023


संशोधित विविध कार्यविभाजन आदेश


मैं अमर सिंह सिसोदिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा जारी आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक वर्ष 2023 क्र. 104/23 दिनांकित 06/05/2023 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता हूँ:-

श्री नितेन्द्र सिंह तोमर, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, भोपाल को प्राधिकृत किये गये आरक्षी केन्द्र रातीबढ़ उनके न्यायालय से हटाते हुए उक्त आरक्षी केन्द्र रातीबढ़ से उदभूत समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, खात्मा प्रकरण हेतु श्री भारत सिंह रघुवंशी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी भोपाल को प्राधिकृत किया जाता है।

शेष आपराधिक कार्य विभाजन पूर्व आदेशानुसार ही प्रभावशील रहेगा।

उक्त आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत प्रभावशील होगा।


अमर सिंह सिसोदिया
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
भोपाल, म0प्र0
19.06.2023

अनुमोदित

मनोज कुमार श्रीवास्तव
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल म0प्र0